न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 01/2018/पीडीआर एक्ट
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर

प्रार्थी

बनाम

बीरबल सिंह सेवदा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झीगर छोटी पंचायत समिति धोद

अप्रार्थी

Rajasthan Public Demand Recovery Act, 1952 के अन्तर्गत वसूली बाबत प्रकरण श्री बीरबल सिंह सेवदा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झीगर छोटी

वकील अप्रार्थी श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया

निर्णय **दिनांकः—25.02.2019**

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 को श्री बीरबल सिंह सेवदा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झीगर छोटी पंचायत समिति धोद द्वारा राजकीय राशि का दुरूपयोग करने पर Rajasthan Public Demand Recovery Act, 1952 के तहत वसूली हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। प्रकरण में Rajasthan Public Demand Recovery Act, 1952 की धारा 3 के तहत निर्धारित प्ररूप में Requistion For A Certificate प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार श्री बीरबल सिंह सेवदा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झीगर छोटी के वसूली हेतु राशि रूपये 395662/— अंकित कर I request you to recover the above mentioned sum of Rs. 395662 (राशि रू. तीन लाख पिचानवे हजार छः सौ बासठ रूपये मात्र) Which I am satisfied, after inquiry, is due from the said, श्री बीरबल सिंह सेवदाए पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत झीगर छोटी, पंचायत समिति धोद जिला सीकर in respect of ग्रामीण कार्य निर्देशिका की पालना नहीं कर राजकीय राशि का दुरूपयोग करने के सम्बंध में प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 31.07.2018 को प्रार्थना पत्र में अपना पक्ष रखते हुए धारा 4 के प्रमाण पत्र की प्रति चाही और मांग के आधार के सम्बंध में दस्तावेजात की प्रतियां चाही। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 06.08.2018 को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर को पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2018 पर अपना जवाब प्रस्तुत करने और चाहे गये दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के द्वारा दिनांक 10.01.2019 को अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखते हुए निम्न बिन्दु स्पष्ट किये—

(1) नोटिस के साथ पीडीआर एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र अप्रार्थी को श्रीमान

(2) ग्राम पंचायत झीगर छोटी द्वारा अवधि वर्ष 2008 से 2010 के दौरान मनरेगा योजनान्तर्गत करवाये गये 3 कार्यो जिनकी शिकायत होने पर राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से विशेष जांच करवाई गई थी, की जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचायत द्वारा इन कार्यो पर किये गये व्यय को अनियमित मानते हुए सम्बंधित सरपंच, ग्राम सेवक, कनिष्ट तकनिकी सहायक एवं कार्यक्रम समन्वयक से राशि रूपये 1582649/– वसूली योग्य मानी है। यंहा अप्रार्थी तत्कालीन समय में ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते इनसे अनुपातिक राशि रूपये 395662/– वसूलनीय है।

(3) राज्य सरकार द्वारा करवाई गई विशेष जांच प्रतिवेदन में तत्कालीन सरपंच के रूप में अप्रार्थी को दोषी माना गया है।

(4) प्रकरण में पंचायत समिति धोद, जिला परिषद सीकर, संभागीय आयुक्त जयपुर एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार स्तर पर सुना गया है एवं इसकी समस्त जानकारी अप्रार्थी स्वयं को है।

साथ ही आवश्यक दस्तावेजात भी उपलब्ध कराये गये।

इस न्यायालय के द्वारा पूर्व सरपंच श्री बीरबल सिंह सेवदा को पत्र क्रमांक 14/रीडर/2019 दिनांक 11.01.2019 के द्वारा निम्नानुसार प्रमाण पत्र (अन्तर्गत धारा 4) की प्रति एवं अन्य दस्तावेजात की प्रति उपलब्ध करवाकर मांग के आधार के सम्बंध में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर की टिप्पणी के अनुसार स्पष्ट कराते हुए आगामी तिथि 05.02.2019 तक आक्षेप/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.02.2019 को अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर की ओर से पत्र दिनांक 05.02.2019 के द्वारा निम्न दस्तावेज की प्रतिंया रिकार्ड पर लेने का आग्रह किया गया–

(1) संभागीय आयुक्त, जयपुर का आदेश क्रमांक प.13 (7) (176) प./09/7206–11 दिनांक 09.12.2015

(2) उप सचिव एवं उपायुक्त, (जांच) पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार का आदेश क्रमांक एफ.3 (144) (अपील) जांच/परावि/धोद (सीकर)/2016/1121 दिनांक 2.5.2017

(3) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर का पत्रांक प.18 (3) (79) सतर्कता/16/19 दिनांक 11.01.2018

(4) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर द्वारा श्री बीरबल सिंह सेवदा को वसूली हेतु दिया गया अन्तिम नोटिस क्रमांक जिपसी/पंचायत/2018/196 दिनांक 22.02.2018

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 25.02.2019 को वसूली के सम्बंध में आपत्ति/प्रत्युत्तर पेश किया जिसमें कहा गया कि "अप्रार्थी के विरूद्व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर के द्वारा वसूली हेतु जल्दबाजी व अपूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण प्रषित किया है। वसूली की स्टेज नहीं है। प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के बाद जिला परिषद सीकर ने कार्यवाही वृतान्त मिटिंग प्रशासन एवं स्थापना समिति बैठक दिनांक 29.06.2018 को मिटिंग में बिन्दु संख्या 19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संभागीय आयुक्त अंकेक्षण विभाग, लोकायुक्त तथा उच्च न्यायालय में विरोधाभाषी आदेशों पर चर्चा की गई। तत्कालीन सरपंच श्री बीरबल सिंह सेवदा तथा सचिव श्री रविशंकर सैनी से वसूली मामले का परीक्षण करने पर पाया गया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 111 के तहत दायित्व निर्धारण किये बिना ही कर्मचारी के वेतन से वसूली शुरू कर दी गयी। जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जा चुका है। माननीय संभागीय आयुक्त जयपुर को श्रीमान् जिला कलक्टर सीकर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 को पत्र क्रमांक 28/2017 में अंकित है कि परिवाद की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर से करवाई गई। जिसमें बिन्दु संख्या 1 से 3 में कनिष्ठ तकनिकी सहायक द्वारा गलत तकमीना बनाये जाने गैर अनुमत कार्य को मुल्यांकन में शामिल कर उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया। कनिष्ठ तकनिकी सहायक का पूर्व में ही जिला परिषद सीकर द्वारा दिनांक 17.09.2015 के द्वारा अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था। विकास अधिकारी पंचायत समिति धोद से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 29.12.2016 के अनुसार ग्राम पंचायत झीगर छोटी में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत करवायी गई ग्रेवल सड़क कार्य का समायोजन पंचायत समिति धोद के आदेश दिनांक 13.01.2010 के क्रम संख्या 53 पर किया गया है, जिस पर बतौर कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी श्री ब्रह्म स्वरूप के हस्ताक्षर है। सम्बंधित समायोजन आदेश पर किसी भी लेखाकर्मी के हस्ताक्षर नहीं है, केवल विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर से समायोजन किया गया है। विकास अधिकारी श्री ब्रह्म स्वरूप अब राजकीय सेवा से सेवानिवृत हो चुके है। प्रकरण हाजा में प्रार्थी अंतिम नतीजे पर पहुंचे बिना ही अप्रार्थी के विरूद्व वसूली हेतु प्रकरण भेजा है, जो चलने योग्य नहीं होने से कार्यवाही ड्रोप की जावे।" अप्रार्थी ने दिनांक 25.02.2019 को प्रमाण पत्र (पीडीआर की धारा 4 अन्तर्गत) की प्रतिलिपि एवं अन्य प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने के सम्बंध में आवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया कि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर के पत्रांक जिपसी पीडीआर/2018/399 दिनांक 10.01.2019 की मद संख्या 2 का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसमें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सीकर ने श्रीमान् को गुमराह करने की कोशिश की है। इसमें अंकित किय है कि नरेगा योजना अन्तर्गत 3 कार्यो जिनकी शिकायत होने पर राज्य सरकार द्वा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से जांच करवायी गई थी, की जांच रिपोर्ट में ग्राम पंचाय द्वारा इनके कार्यो पर किये गये व्यय को अनियमित मानते हुए राशि रूपये 1582649/ को वसूली योग्य माना गया है। पीडीआर एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण देने से प अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जिन तथ्यों को आक्षेप की अनुपालना में निवेदन किया है, उन गौर किये बिना इकतरफा कार्यवाही करने का कारण जो भी रहा है, उसे अधोहस्ताक्षरक को बताये बिना पीडीआर में नोटिस जारी करना विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण श्रीम जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महोदय ध्यान में आने पर उनके द करवाई कई जांच के निष्कर्षो पर पत्रांक पंचायत/2017/28 दिनांक 11.01.2017 (पत्र साथ सलंग्न प्रति का अवलोकन करने की कृपा करे) द्वारा कनिष्ठ तकनिकी सहा द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र को सक्षम तकनिकी अभियन्ता से बिना प्रमाणित क समायोजन के लिए प्रस्तुत कर समायोजन के लिए विकास अधिकारी के साथ क तकनिकी सहायक, लेखाकर्मी को उत्तरदायी मान लिया जाकर अपना अभिमत मा

सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया और दोनों पक्षों
दस्तावेजों/प्रस्ताव/आपत्तियों पर मनन किया गया। सम्पूर्ण वसूली प्रकरण निदेशालय
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के विशेष जांच प्रतिवेदन ग्रा
पंचायत झीगर छोटी, पंचायत समिति धोद जिला सीकर के दिनांक के निष्कर्ष से शु
हुआ, जिसके तहत ग्राम पंचायत झीगर छोटी में नरेगा योजनान्तर्गत संपादित कार्यो
अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण निष्कर्ष अनुसार श्री करणी सिंह सेवदा द्वारा दी
शिकायत के सम्बंध में जांच दल को सम्बंधित संस्था द्वारा उपलब्ध करायी
सूचना/रिकार्ड/दस्तावेज/पत्रावलीयों की जांच करने पर उपरोक्त वर्णित विवरण
अनुसार जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि निर्माण कार्यो के सम्पादन में स
सम्बंधित यथा सरपंच/सचिव/कनि0 तकनीकी सहायक/विकास अधिकारी/कार्यक
अधिकारी द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों की पालना नहीं करके राशि
दुरूपयोग किया गया है परिणामतः कार्य सम्पादन ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2004
निर्धारित प्रावधान 20.4 के अनुरूप नहीं कराया गया है। इस कारण इन कार्यो पर व
की गई राशि रूपये 1582649/– की वसूली सभी सम्बंधित से अपेक्षित रहती
कार्यक्रम अधिकारी/विकास अधिकारी प0स0 धोद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका
प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन जांच प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं
के बाद भी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्रों को समायोजित कर निर्दे
की अवहेलना करने हेतु दोषी पाये गये है। अतः सभी सम्बंधित दोषी से व्यय की
राशि की वसूली के साथ–साथ राजकार्य सम्पादन में अनियमितता बरतने के का
नियमानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित है।

इस अंकेक्षण के आधार पर वसूली योग्य राशि में से आनुपातिक राशि वस
हेतु अप्रार्थी को विकास अधिकारी पंचायत समिति धोद के द्वारा क्रमांक 5067 दिनांक
12.2016 के द्वारा राशि जमा का नोटिस व अनियमितता पर स्पष्टीकरण चाहा ग
तदुपरांत पत्रांक 4921 दिनांक 15.12.2017 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि
परिषद, सीकर की और से आनुपातिक वसूली राशि 395662/– रूपये 15 दिवस में
कराने हेतु निर्देशित किया गया और अन्यथा धारा 111 की कार्यवाही प्रस्तावित करने
लिखा गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर के द्वारा पुनः 18.01.2
को वसूली जमा हेतु निर्देशित किया गया। उसके पश्चात् पुनः दिनांक 12.02.2018
जिला परिषद के द्वारा वसूली जमा हेतु निर्देशित किया गया।

अप्रार्थी को जिला परिषद, संभागीय आयुक्त व पंचायत राज विभाग सभी
पर सुना गया। उपरोक्त वर्णित जिला परिषद के पत्रों, संभागीय आयुक्त के अ
दिनांक 09.12.2015, पंचायत राज विभाग के आदेश दिनांक 02.05.2017 से भी यह
होता है।

अप्रार्थी के द्वारा दिनांक 25.02.2019 को पेश आपत्ति में दर्शाया गया है
सह आरोपी सचिव से वसूली के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन अ
जारी किया जा चुका है। परन्तु स्वयं के सम्बंध में किसी सक्षम न्यायालय
आदेश/स्थगन आदेश होना ना ही प्रकट किया और ना ही उल्लेखित किया।

अतः पंचायत राज विभाग, जिला परिषद एव संभागीय आयुक्त जयपुर
विभागो के स्तर पर अप्रार्थी को पर्याप्त सुनवाई के अवसर उपरांत एवं अतिरिक्त
कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सीकर के Requistion For A Certificate अ
आनुपातिक वसूली राशि मय ब्याज Certificate धारा 4 में वर्णित अनुसार वसूल